भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 996

(जिसका उत्तर सोमवार, 29 जुलाई, 2024/7 श्रावण, 1946 (शक) को दिया गया)

सीएसआर के अंतर्गत व्यय की गई निधि

996. श्री गोविन्द मकथप्पा कारजोल:

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान कर्नाटक में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत व्यय की गई निधि का जिला-वार और कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने कर्नाटक में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) बहुल क्षेत्रों में अधिक सीएसआर निधि व्यय करने में विशेष रुचि ली है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कर्नाटक में जिला-वार और कार्य-वार कितने लाभार्थी हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के तहत सीएसआर ढ़ांचा प्रकटीकरण पर आधारित है और सीएसआर अधिदेशित कंपनियों को सीएसआर कार्यकलापों का विवरण वार्षिक रूप से एससीए21 रजिस्ट्री में फाइल करना अपेक्षित है। कंपनियों द्वारा कंपनी-वार, राज्य-वार, जिला-वार और विकास क्षेत्र-वार डाटा सहित एससीए21 रजिस्ट्री में फाइल किया गया सीएसआर से संबंधित समस्त डाटा सार्वजनिक डोमेन में www.csr.gov.in पर उपलब्ध है। कंपनियों द्वारा एससीए21 रजिस्ट्री में वार्षिक रूप से की गई फाइलिंग के आधार पर, कंपनियों द्वारा विगत पांच वित्तीय वर्षों (वि.व.) अर्थात 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान कर्नाटक राज्य में किया गया जिला-वार सीएसआर व्यय अनुलग्नक-I पर संलग्न है।

(ख) और (ग): अधिनियम के तहत, सीएसआर एक बोर्ड़ संचालित प्रक्रिया है और कंपनी के बोर्ड़ को अपनी सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उन पर निर्णय लेने, उनका निष्पादन करने और उनकी निगरानी करने का अधिकार है। सरकार कंपनियों को किसी विशिष्ट क्षेत्र या कार्यकलाप पर व्यय करने संबंधी कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं करती है। इस अधिनियम की अनुसूची VII उन पात्र कार्यकलापों की सूची को इंगित करती है जिनका निष्पादन कंपनियाँ सीएसआर के रूप में कर सकती हैं। अनुसूची VII के अधीन उल्लिखित कार्यकलाप व्यापक रूप से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संरेखित हैं ताकि समावेशी और सतत विकास को बढावा दिया जा सके और इसमें सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछडे समूहों, झुग्गी क्षेत्र विकास, ग्रामीण विकास परियोजनाओं आदि द्वारा सामना किए जाने वाली असमानताओं के निराकरण के लिए उपाय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, अनुसूची VII में दी गई प्रविष्टियां व्यापक हैं और इनकी उदारता पूर्वक व्याख्या की जा सकती है ताकि उसमें उल्लिखित विषयों के सार को समाहित किया जा सके। अंत में, कंपनियों द्वारा सीएसआर फाइलिंग में शामिल लाभार्थी-वार डाटा को नहीं किया जाता है।

*****

अनुलगनक-I

पिछले पांच वित्तीय वर्षों (अर्थात् 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23) के दौरान कर्नाटक राज्य में जिला-वार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रूपए में)

क्र. सं.	जिलों का नाम	वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए परियोजना पर किया गया सीएसआर व्यय	वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए परियोजना पर किया गया सीएसआर व्यय	वित्त वर्ष 2020-21 के लिए परियोजना पर किया गया सीएसआर व्यय	वित्त वर्ष 2021-22 के लिए परियोजना पर किया गया सीएसआर व्यय	वित्त वर्ष 2022-23 के लिए परियोजना पर किया गया सीएसआर व्यय
1	बागलकोट	0.28	2.92	0.64	5.64	4.50
2	बल्लारी	8.21	13.59	14.87	28.79	189.49
3	बेलगावी	2.30	8.72	8.09	16.47	18.61
4	बेंगलुरू ग्रामीण	17.59	17.15	20.05	120.57	161.08
5	बेंगलुरु शहरी	11.60	30.46	77.41	1,074.13	7.37
6	बीदर	0.05	0.32	0.69	2.26	6.56
7	चामराजनगर	-	0.76	2.61	4.14	8.46
8	चिक्कबल्लपुर	1.37	3.89	12.24	1.70	0.21
9	चिक्कामगलुरु	0.64	3.04	1.76	7.66	9.90
10	चित्रदुर्ग	17.50	3.90	10.24	11.39	5.30
11	दक्षिण कन्नड़	51.76	82.53	44.67	33.41	39.04
12	दावनगेरे	0.09	1.66	1.46	3.68	4.34
13	धारवाड़	4.79	26.19	27.03	41.46	19.92
14	गदग	0.40	0.79	2.19	1.48	4.51
15	हसन	0.21	1.24	1.47	4.92	2.12
16	हावेरी	0.60	1.34	0.91	8.60	11.22
17	कलबुर्गी	0.41	0.12	2.25	18.91	14.14
18	कोडागू	2.78	2.10	3.75	20.62	8.58
19	कोलार	9.86	17.54	11.35	14.14	24.50
20	कोप्पल	1.29	0.47	2.01	4.32	4.67
21	मंड्या	0.25	0.48	2.22	6.64	6.17
22	मैसूर	7.33	27.18	20.51	50.41	49.03
23	रायचुर	4.99	4.51	4.51	18.04	9.86
24	रामनगर	15.23	20.55	33.90	4.05	0.14
25	शिवमोगा	4.03	7.27	8.45	6.81	4.57
26	तुमकुरु	4.39	8.76	3.96	14.56	18.00
27	उडुपी	10.50	17.59	4.60	20.10	23.39
28	उत्तर कन्नड़	9.62	4.84	5.07	11.46	11.02
29	विजयनगर	-	0.50	-	-	1.30
30	विजयपुरा	0.00	0.20	1.26	1.12	5.03
31	यादगीर	0.03	1.58	0.97	2.83	-
32	एनईसी/उल्लेखित नहीं *	1,069.57	1,135.95	946.65	279.41	1,312.78
33	पेन इंडिया **	-	-	-	0.01	-
	कुल	**1,257.69**	**1,448.16**	**1,277.81**	**1,839.73**	**1,985.82**

31 मार्च, 2024 तक का डाटा [स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ]

* अन्यत्र कवर नहीं किया गया (एनईसी)

** कम्पनियों ने या तो राज्यों के नाम नहीं बताए या फिर एक से अधिक राज्यों का नाम बताए, जहां परियोजनाएं आरंभ की गई थीं।

******